

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 ( 6 ) सा.प्र./ग्रुप-4/14

जयपुर, दिनांक 13-6-14

मुख्य अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)  
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- छठीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित छठीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 8.27 लाख (अक्षरे रूपये आठ लाख सत्ताईस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदया की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क.सं.	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	एच-5 गांधीनगर	1.एम.एस. डोर 2.पी.वी.सी.डोर 3.टॉयलेट रिनोवेशन 4.बाथ रिनोवेशन 5.ए.सी.शेड	0.05 0.04 0.10 0.10 0.19	0.48
2	एच-518 गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन 2.टॉयलेट रिनोवेशन 3.मैट टाइल	0.15 0.20 0.25	0.60
3	एच-525 गांधीनगर	1.ए.सी. शीट 2.मैट टाइल्स	0.31 0.25	0.56
4	एच-528 गांधीनगर	1.स्टील विन्डो 2.टॉयलेट रिनोवेशन 3.मैट टाइल्स 4.किचन रिनोवेशन	0.04 0.20 0.24 0.15	0.63
5	एच-544 गांधीनगर	1.ए.सी.शीट 2.चारदीवारी ऊंची करना 3.किचन रिनोवेशन	0.23 0.15 0.05	0.43
6	एच-557 गांधीनगर	1.ए.सी. शीट	0.31	0.31
7	एच-585 गांधीनगर	1.ए.सी.शीट	0.31	0.31
8	एच-591 गांधीनगर	1.ए.सी.शीट 2.कोटा स्टोन 3.चारदीवारी ऊंची करना	0.23 0.13 0.15	0.51
9	एच-654 गांधीनगर	1.कोटा स्टोन 2.ए.सी. शीट 3.सी.सी. फर्श 4.चारदीवारी 5.किचन रिनोवेशन	0.13 0.23 0.06 0.13 0.15	0.70
10	एच-661 गांधीनगर	1.चारदीवारी ऊंची करना 2.मैट टाइल्स	0.15 0.24	0.39
11	एच-912 गांधीनगर	1.ए.सी. शीट	0.32	0.32
12	एच-914 गांधीनगर	1.फ़्लश डोर 2.जाली डोर 3.ए.सी. शीट 4.मैट टाइल्स	0.15 0.09 0.31 0.24	0.79
13	6/3, गांधीनगर	1.मैट टाइल्स 2.जाली डोर 3.ए.सी.शीट 4.कोटा स्टोन	0.24 0.09 0.23 0.26	0.82
14	6/6 गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन 2.टॉयलेट रिनोवेशन 3.मैट टाइल्स 4.एम.एस. डोर 5.स्टील विन्डो	0.15 0.20 0.24 0.05 0.04	0.68

15	6/8 गांधीनगर	1.मैट टाईल्स 2.जाली डोर 3.पी.वी.सी. डोर 4.टॉयलेट रिनोवेशन 5.किचन रिनोवेशन 6.जाली विन्डो	0.24 0.04 0.03 0.20 0.15 0.08	0.74
		कुल योग रुपये	-	8.27

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [05] पंचम एवं छठवीं श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में वर्ष 2014-15 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर समस्त आवासियों से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

*Sd*

( राजीव जैन )

संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (क)